30/3/26	पत्रावली पेश हुई दावा वादी स्थापित किया जाता है किन्तु निर्णीत इजलास में लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैफियत शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो आदेश जारी गया उपजिलाधिकारी [illegible]

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

1. रामफल बेवा रामफल उम्र 65 साल
2. कैलाश
3. राजू
4. मंगू
5. विष्णु
6. दिनेश

पुत्रान रामफल नाबालिगान

7. पुष्पा

नाबालिगान जरिये संरक्षक बली कुदरती मां रामपति बेवा रामफल , सभी जाति माली

निवासीयान सभी कल्लादेह के पास करौली तह. करौली नदी दरवाजा बाहर करौली तहसील व जिला करौली

–वादी

बनाम

1. छोटू (फौत)
   - 1/1. प्रकाश
   - 1/2. मोहल लाल
   - 1/3. बबलू
   - 1/4. मल्ला
   - 1/5. किन्ती
   - 1/6. गीता
   - 1/7. हंसो
   - 1/8. रज्जो
   - 1/9. मदन मोहन
2. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार तहसील करौली जिला करौली

–प्रतिवादीगण

दावा बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आदेश

मुकदमा नं. 56/12

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री अबरार अहमद**, एडवोकेट मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री अशफाक अहमद**, एडवोकेट मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 20.12.26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी,
करौली (राज.)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:–56 / 12 तारीख रजु:–22.6.12

उनवान

1. रामफल बेवा रामफल उम्र 65 साल
2. कैलाश
3. राजू
4. मंगू
5. विष्णु
6. दिनेश
7. पुष्पा

पुत्रान रामफल नाबालिगान

नाबालिगान जरिये संरक्षक बली कुदरती मां रामपति बेवा रामफल , सभी जाति माली

निवासीयान सभी कल्लादेह के पास करौली तह. करौली नदी दरवाजा बाहर करौली तहसील व जिला करौली

–वादी

बनाम

1. छोटू (फौत)
   - 1 / 1. प्रकाश
   - 1 / 2. मोहल लाल
   - 1 / 3. बबलू
   - 1 / 4. मल्ला
   - 1 / 5. किन्ती
   - 1 / 6. गीता
   - 1 / 7. हंसो
   - 1 / 8. रज्जो
   - 1 / 9. मदन मोहन
2. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार तहसील करौली जिला करौली

–प्रतिवादीगण

दावा बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आदेश

–::निर्णय::– दिनांक :– 30/3/16

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 2948 रकवा 7 बिस्वा वाके कल्लादेह के पास नदी भद्रावती नदी गेट बाहर करौली स्थित है। यह आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण नंबर 1 की संयुक्त परिवार की है जो हमारी दादा सूका के खातेदारी की थी उनके देहान्त के बाद रामफल, छोटे लिल्लो के नाम खातेदारी हो गई। तथा रामफल की मृत्यु के बाद उसके वारिसान रामपति बेवा रामफल, कैलाश, राजू, मंगू, विष्णु, दिनेश पुष्पा के नाम खातेदारी हो गई। लिल्लो

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

लाऔलाद फोत हो चुका है छोटे जीवित है। इस प्रकार यह पक्षकारान की पुश्तैनी जायदाद है। जिसमें हम पक्षकारान का बराबर बराबर हिस्सा हक व अधिकार है। लिल्लो के लाऔलाद फौत होने पर उसके हिस्से की आधी–आधी आराजी पर हम पक्षकारान वादियान एवं प्रतिवादी नंबर 1 के हिस्से की है। इस प्रकार उक्त जायदाद आराजी भूमि के हक वादीगण एवं प्रतिवादीगण नंबर 1, 1/2, 1/2 हिस्से के हकदार है उक्त आराजी का अभी तक बंटवारा हम फरीकेन मुकदमा वादीगण व प्रतिवादीगण नंबर 1 के मध्य नही हुआ है आराजी भूमि अविभाजित है। इसलिये उक्त आराजी में से 1/2 हिस्से का बंटवारा कराने के हम वादीगण अधिकारी हैं एवं राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्से के खातेदारी इन्द्राज कराने के वादीगण अधिकारी हैं। आराजी में बांस के पेड है जो एक हजार नग है। दिनांक 15.6.2012 को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा उक्त आराजी मे जो संयुक्त कृषि भूमि चाही हैं। मै बिना हम वादीगण से पूछे बिना बंटवारा कराये बिना मंजूरी लिऐ दो गेह दोपल्ला पाटोर दिनांक 15.6.12 को चढा दी हैं। इस सबंध में पाटोर नही चढाने बाबत् वादीगण ने मना किया तो जान से मारने को प्रतिवादी नंबर 1 व उसके परिवारवाले आमादा हो गये व ऐलानिया धमदी देने लग गये कि यदि तुमने हमको पाटोर डालने से रोका तो इसी जमीन में गड्डा खोदकर गाड देंगें व ये भी ऐलानियां धमकी दी है कि इस पाटोर के अलावा अन्य पाटोर भी इसी जमीन में डालेंगें व इस जमीन को बेचेंगें। इस पर वहां उपस्थित लोगों रिश्तेदारों ने प्रतिवादी व उसके परिवार वालो को काफी समझाने की कोशिश की तो ये और अधिक नाराज हो गये व कहने लगे कि हम राज काज से नही डरते है। जो बोलेगा उसे जान से मार देंगें। इस प्रकार प्रतिवादी नंबर 1 व उसके परिवार वालो के दिनांक 15.6.12 को पाटोर चढाने व अन्य पाटोर डालने व इस जमीन को विक्रय करने की धमकी देने पर दावा पेश करना लाजिम हुआ है। प्रतिवादी नंबर 2 उक्त आराजी के विक्रय की रजिस्ट्री, नामान्तकरण अन्य किसी प्रकार से खाता बिना बंटवारा हुऐ नही बदले इस बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें। वादीगण अपने हिस्से की 1/2 आराजी जो संयुक्त परिवार की पुश्तैनी जायदाद है का बंटवारा

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस कराया जाकर वादीगण को हिस्से 1/2 की जायदाद का कब्जा दिलाया जावे एवं पाटोर जो चढा ली गई है उसे आदेशात्मक आदेश द्वारा तुडवाया जावें। विनाय दावा दिनांक 15.6.2012 को दो गैह दोपल्ला पाटोर डालने व मना करने पर भी पाटोर डालने व अन्य पाटोर डालने व पैडो की व आराजी को बिना बंटवारा किये विक्रय करने की धमकी देने पर यह व मुकाम शहर करौली बाद कारण उत्पन्न हुआ है। अंत दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 1/9 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि विवादित आरजी के सह खातेदारान रामफल, छोटे एवं लिल्लो की संयुक्त खातेदारी व कब्जे की रही है जिसमें तीनों 1/3, 1/3 के हिस्सेदार हकदार हैं। वादीगण ने अपना 1/2 हिस्सा होना गलत लिखा हैं। क्योंकि लिल्लों ने अपने जीवन काल में ही मुझ प्रतिवादी जवाबदार मदनमोहन को रजिस्टर्ड गोदनामा के व सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार गोदलिया तथा लिल्लो की फौती के बाद उसके दत्तक पुत्र की हैसियत से उसके 1/3 हक व हिस्से भूमि का नामान्तकरण भी मेरे नाम खुल चुका है तथा मै उसके वारिस के रूप में उसके हिस्से पर दत्तक पुत्र की हैसियत से काबिज व दखील हूं। वादीगण का 1/2 हक व हिस्सा होना सरीहन गलत लिखा है। तथा उनका दावा खारिज होने योग्य है। विवादित आराजीयात में आबादी हो रही है तथा अपने हिस्से 1/3, 1/3 के हिस्से अनुसार रिहायश करते चले आ रहे हैं। तथा कुछ आराजी में बांस के पेड भी है। हम प्रतिवादीगण पर यह आरोप कतई गलत लगाया है कि हमने वादीगण की हकतल की करते हुऐ दिनांक 15.6.2012 को जबरन पाटोर बढाई हो बल्कि अपने अपने हक व हिस्सा पर हम प्रतिवादीगण जवाबदार काबिज व दाखिल है। लिल्लो की फौती के बाद लिल्लो की पुत्र की हैसियत से उसके 1/3 हक हिस्से पर मै जवाबदार मदनमोहन काबिज हूं। और दत्तक पुत्र की हैसियत से लिल्लो की फौत के पश्चात् समस्त हक हकूक मालिकाना काबिजाना खातेदारी अधिकार मुझ जवाबदार प्रतिवादी मे निहित है। वादीगण आदतन मुकदमें बाज है तथा

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

तंग व परेशान करते रहते है स्वयं लिल्लो को भी उसके जीवनकाल में रामपति ने काफी परेशान किया। क्योंकि रामपति जबरन लिल्लो के हक व हिस्से को उससे छीनना चाहती है। रामपति ने लिल्लो पर बलात्कार के मुकदमें तक करने व कराने की धमकी दी तथा लिल्लो ने मदनमोहन को अपने आखिरी समय तक अपने दत्तक पुत्र की हैसियत से अपने पास रखा तथा मैंने ही उसकी हर प्रकार की सेवा सुश्रुषा, हारी बीमारी खान पान का खर्चा बहन किया व उसका इलाज कराया उसका बारह ब्राहमण किये तथा गंगाजी ले गया तथा लिल्लो की पगडी भी मुझ जवाबदार प्रतिवादी मदनमोहन को ही बंधी। ऐसी सूरत में लिल्लो के हकूक मुझ प्रतिवादी जवाबदार मदनमोहन में दत्तक पुत्र की हैसियत से मुझ जवाबदार प्रतिवादी मदनमोहन निहित हो चुके है। मुझे जवाबदार प्रतिवादी मदनमोहन के नाम रजिस्टर्ड गोद नाम के आधार पर लिल्लो के दत्तक पुत्र की हैसियत से नामान्तकरण भी खुल चुका है। वादीगण हमारी रिहायशी पाटोर को हटवाने के हकदार नही हैं। क्योंकि लिल्लो की जिंदगी से ही जिस जगह पर रिहायशी पाटोर डली हुई हैं। वही पर आज भी पाटोर हैं। नई कोई पाटोर दिनांक 15.6.2012 को नही डाली गई हैं। स्वयं वादीगण अपने 1/3 हक व हिस्से अनुसार ही पाटोर डालकर रह रहे है। इस तथ्य को दावे में वादीगण मे छिपाया है तथा 1/3 हिस्से में छोटे रिहायशी पाटोर डालकर रह रहा है। ऐसी सूरत में दावा बिना किसी कोई ऑफ एक्शन होने के कारण खारिज होने योग्य है। वादीगण को कोई वादकारण पैदा नही हुआ है व फर्जी तौर पर पाटोर डालने का फैक्ट लिखा दिया है तथा बंटवारा करने की वादीगण ने बात कहीं हो ऐसी एक लाईन भी दावे में नही लिखी गई हैं। इस कारण दावा वादीगण खारिज होने योग्य है। जिसके कारण दावा श्रीमान में चलने योग्य हो। क्योकि दावा टीनेन्सी राईटस पर पेश नही किया गया है। बीसीयों साल से जिस तरह पर हमारी रिहायशी मकान बने हुऐ है उसी तरह पर हम बदस्तूर काबिज रह कर अपना व अपने परिवार का पालन कर रहे है ऐसी सूरत में दावा मियाद बाहर है। चलने योग्य ही है। दावा हाजा टीनेन्सी राईटस पर पेश नही किया गया है इस कारण खाारिज होने योग्य है। दावा वेरूनी मियाद है क्योंकि अलग

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

अलग हिस्से पर बीसीयों वर्ष पूर्व से अपने अपने 1/3, 1/3 हिस्से पर काबिज व दाखिल है ऐसी सूरत में दावा खारिज होने योग्य है। लिल्लो ने मुझ जवाबदार मदनमोहन को जरिये रजिस्टर्ड गोद नामा दिनांक 27.4.2007 को गोद लिया तथा उसी ने हर प्रकार की सामाजिक व धार्मिक रिश्ते निभाकर अपनी मोक्ष प्राप्ती हेतू मुझ मदनमोहन को गोद लिया था तथा रजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर खातेदारी इन्द्राज भी मेरे नाम हो चुके है रामपति व उसके पुत्र पुत्रीयान ने मुझ मदनमोहन के दत्तक ग्रहण को निरस्त कराने व निस्प्रभावी घोषित कराने का दावा दीवानी न्यायालय में पेश किया जो दिनांक 11.10.2017 को खारिज हो चुका है। जिसका उनवान रामपति वगैरहा हो बनाम लिल्लो वगैरहा दावा घोषणा नंबरी 6/2016 है। जिसकी नकल भी जवाबदावे के साथ पेश की जा रही है। दीवानी न्यायालय के हकूक तय हो जाने के बाद गोदनामे की कानूनी मानने के बाद अब किसी भी प्रकार से मौजूदा दावा चलने योगय नही है तथा काबिले खोरिज होने योग्य है तथा न्यायालय के फेसले से भी मै मदनमोहन लिल्लो के दत्तक पुत्र की हैसियत से 1/3 हिस्से का हिस्सेदार हूं ऐसी सूरत में वादीगण का दावा खारिज होने योग्य है। अंत में दाव वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादी व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गयेः–

1. आया विवादित आराजी खसरा नं0 2948 रकवा 7 विस्वा कस्बा करौली वादीगण व प्रति.नं. 1 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिनमें वादीगण का 1/2 हिस्सा है। वादीगण अपने हिस्से का बंटवारा कराने के अधिकारी हैं।

——**वादीगण**

2. आया वादीगण विवादित आराजी के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है।

——**वादीगण**

3. आया दावा वादीगण न्यायालय के सुनवाई योग्य नही हैं। ——**प्रतिवादीगण**
4. अनुतोष :–

वाद विवाद्यक बिन्दू वादी साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी रामपति पीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–1 एवं

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2 को पेश कर प्रदर्शित कराया है। साक्ष्य वादी समाप्त कर बंद की गई।

प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी मदनमोहन डीडब्ल्यू 1 एवं गवाह हरिसिंह डीडब्ल्यू-2 के बयान लेखबद्ध कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल निर्णय दिनांक 4.10.2023 प्रदर्श ए-1, डिक्री प्रदर्श ए-2, निर्णय दिनांक 11.10.2017 प्रदर्श ए-3, डिक्री दिनांक 11.10.2017 प्रदर्श ए-4, नकल जमाबंदी संवत 2071-74 प्रदर्श ए-5 को पेश कर प्रदर्शित कराया है। साक्ष्य प्रतिवादीगण समाप्त कर बंद की गई।

बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 2948 रकवा 7 बिस्वा वाके कल्लादेह के पास नदी भद्रावती नदी गेट बाहर करौली स्थित है। यह आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण नंबर 1 की संयुक्त परिवार की है जो हमारी दादा सूका के खातेदारी की थी उनके देहान्त के बाद रामफल, छोटे लिल्लो के नाम खातेदारी हो गई। तथा रामफल की मृत्यु के बाद उसके वारिसान रामपति बेवा रामफल, कैलाश, राजू, मंगू, विष्णु, दिनेश पुष्पा के नाम खातेदारी हो गई। लिल्लो लाऔलाद फोत हो चुका है छोटे जीवित है। इस प्रकार यह पक्षकारान की पुश्तैनी जायदाद है। जिसमें हम पक्षकारान का बराबर बराबर हिस्सा हक व अधिकार है। लिल्लो के लाऔलाद फौत होने पर उसके हिस्से की आधी-आधी आराजी पर हम पक्षकारान वादियान एवं प्रतिवादी नंबर 1 के हिस्से की है। इस प्रकार उक्त जायदाद आराजी भूमि के हक वादीगण एवं प्रतिवादीगण नंबर 1, 1/2, 1/2 हिस्से के हकदार है उक्त आराजी का अभी तक बंटवारा हम फरीकेन मुकदमा वादीगण व प्रतिवादीगण नंबर 1 के मध्य नही हुआ है आराजी भूमि अविभाजित है। इसलिये उक्त आराजी में से 1/2 हिस्से का बंटवारा कराने के हम वादीगण अधिकारी हैं एवं राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्से के खातेदारी इन्द्राज कराने के वादीगण अधिकारी हैं। आराजी में बांस के पेड है जो एक हजार नग है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

दिनांक 15.6.2012 को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा उक्त आराजी मे जो संयुक्त कृषि भूमि चाही है। मै बिना हम वादीगण से पूछे बिना बंटवारा कराये बिना मंजूरी लिऐ दो गैह दोपल्ला पाटोर दिनांक 15.6.12 को चढा दी है। इस संबंध में पाटोर नही चढाने बाबत् वादीगण ने मना किया तो जान से मारने को प्रतिवादी नंबर 1 व उसके परिवारवाले आमादा हो गये व ऐलानिया धमकी देने लग गये कि यदि तुमने हमको पाटोर डालने से रोका तो इसी जमीन में गड्डा खोदकर गाड देंगे व ये भी ऐलानियां धमकी दी है कि इस पाटोर के अलावा अन्य पाटोर भी इसी जमीन में डालेंगें व इस जमीन को बेचेंगें। इस पर वहां उपस्थित लोगों रिश्तेदारों ने प्रतिवादी व उसके परिवार वालो को काफी समझाने की कोशिश की तो ये और अधिक नाराज हो गये व कहने लगे कि हम राज काज से नही डरते है। जो बोलेगा उसे जान से मार देंगें। इस प्रकार प्रतिवादी नंबर 1 व उसके परिवार वालो के दिनांक 15.6.12 को पाटोर चढाने व अन्य पाटोर डालने व इस जमीन को विक्रय करने की धमकी देने पर दावा पेश करना लाजिम हुआ है। प्रतिवादी नंबर 2 उक्त आराजी के विक्रय की रजिस्ट्री, नामान्तकरण अन्य किसी प्रकार से खाता बिना बंटवारा हुऐ नही बदले इस बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें। वादीगण अपने हिस्से की 1/2 आराजी जो संयुक्त परिवार की पुश्तैनी जायदाद है का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस कराया जाकर वादीगण को हिस्से 1/2 की जायदाद का कब्जा दिलाया जावे एवं पाटोर जो चढा ली गई है उसे आदेशात्मक आदेश द्वारा तुडवाया जावें। विनाय दावा दिनांक 15.6.2012 को दो गैह दोपल्ला पाटोर डालने व मना करने पर भी पाटोर डालने व अन्य पाटोर डालने व पैडो की व आराजी को बिना बंटवारा किये विक्रय करने की धमकी देने पर यह व मुकाम शहर करौली बाद कारण उत्पन्न हुआ है। अंत में दावा वादी डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादी का बहस में कथन है कि विवादित आरजी के सह खातेदारान रामफल, छोटे एवं लिल्लो की संयुक्त खातेदारी व कब्जे की रही है जिसमें तीनों 1/3, 1/3 के हिस्सेदार हकदार हैं। वादीगण ने अपना 1/2 हिस्सा होना गलत लिखा हैं।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

क्योंकि लिल्लों ने अपने जीवन काल में ही मुझ प्रतिवादी जवाबदार मदनमोहन को रजिस्टर्ड गोदनामा के व सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार गोदलिया तथा लिल्लो की फौती के बाद उसके दत्तक पुत्र की हैसियत से उसके 1/3 हक व हिस्से भूमि का नामान्तकरण भी मेरे नाम खुल चुका है तथा मै उसके वारिस के रूप में उसके हिस्से पर दत्तक पुत्र की हैसियत से काबिज व दखील हूं। वादीगण का 1/2 हक व हिस्सा होना सरीहन गलत लिखा है। तथा उनका दावा खारिज होने योग्य है। विवादित आराजीयात में आबादी हो रही है तथा अपने हिस्से 1/3, 1/3 के हिस्से अनुसार रिहायश करते चले आ रहे हैं। तथा कुछ आराजी में बांस के पेड भी है। हम प्रतिवादीगण पर यह आरोप कतई गलत लगाया है कि हमने वादीगण की हकतल की करते हुऐ दिनांक 15.6.2012 को जबरन पाटोर बढाई हो बल्कि अपने अपने हक व हिस्सा पर हम प्रतिवादीगण जवाबदार काबिज व दाखिल है। लिल्लो की फौती के बाद लिल्लो की पुत्र की हैसियत से उसके 1/3 हक हिस्से पर मै जवाबदार मदनमोहन काबिज हूं। और दत्तक पुत्र की हैसियत से लिल्लो की फौत के पश्चात् समस्त हक हकूक मालिकाना काबिजाना खातेदारी अधिकार मुझ जवाबदार प्रतिवादी मे निहित है। वादीगण आदतन मुकदमें बाज है तथा तंग व परेशान करते रहते है स्वयं लिल्लो की भी उसके जीवनकाल में रामपति ने काफी परेशान किया। क्योंकि रामपति जबरन लिल्लो के हक व हिस्से को उससे छीनना चाहती है। रामपति ने लिल्लो पर बलात्कार के मुकदमें तक करने व कराने की धमकी दी तथा लिल्लो ने मदनमोहन को अपने आखिरी समय तक अपने दत्तक पुत्र की हैसियत से अपने पास रखा तथा मैने ही उसकी हर प्रकार की सेवा सुश्रृषा, हारी बीमारी खान पान का खर्चा बहन किया व उसका इलाज कराया उसका बारह ब्राहमण किये तथा गंगाजी ले गया तथा लिल्लो की पगडी भी मुझ जवाबदार प्रतिवादी मदनमोहन को ही बंधी। ऐसी सूरत में लिल्लो के हकूक मुझ प्रतिवादी जवाबदार मदनमोहन में दत्तक पुत्र की हैसियत से मुझ जवाबदार प्रतिवादी मदनमोहन निहित हो चुके है। मुझे जवाबदार प्रतिवादी मदनमोहन के नाम रजिस्टर्ड गोद नाम के आधार पर लिल्लो

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

के दत्तक पुत्र की हैसियत से नामान्तकरण भी खुल चुका है। वादीगण हमारी रिहायशी पाटोर को हटवाने के हकदार नही है। क्योंकि लिल्लो की जिंदगी से ही जिस जगह पर रिहायशी पाटोर डली हुई है। वही पर आज भी पाटोर हैं। नई कोई पाटोर दिनांक 15.6.2012 को नही डाली गई हैं। स्वयं वादीगण अपने 1/3 हक व हिस्से अनुसार ही पाटोर डालकर रह रहे है। इस तथ्य को दावे में वादीगण ने छिपाया है तथा 1/3 हिस्से में छोटे रिहायशी पाटोर डालकर रह रहा है। ऐसी सूरत में दावा बिना किसी कोई ऑफ एक्शन होने के कारण खारिज होने योग्य है। वादीगण को कोई वादकारण पैदा नही हुआ है व फर्जी तौर पर पाटोर डालने का फैक्ट लिखा दिया है तथा बंटवारा करने की वादीगण ने बात कहीं हो ऐसी एक लाईन भी दावे में नही लिखी गई हैं। इस कारण दावा वादीगण खारिज होने योग्य है। जिसके कारण दावा श्रीमान में चलने योग्य हो। क्योकि दावा टीनेन्सी राईटस पर पेश नही किया गया है। बीसीयों साल से जिस तरह पर हमारी रिहायशी मकान बने हुऐ है उसी तरह पर हम बदस्तूर काबिज रह कर अपना व अपने परिवार का पालन कर रहे है ऐसी सूरत में दावा मियाद बाहर है। चलने योग्य ही है। दावा हाजा टीनेन्सी राईटस पर पेश नही किया गया है इस कारण खाारिज होने योग्य है। दावा वेरूनी मियाद है क्योंकि अलग अलग हिस्से पर बीसीयों वर्ष पूर्व से अपने अपने 1/3, 1/3 हिस्से पर काबिज व दाखिल है ऐसी सूरत में दावा खारिज होने योग्य है। लिल्लो ने मुझ जवाबदार मदनमोहन को जरिये रजिस्टर्ड गोद नामा दिनांक 27.4.2007 को गोद लिया तथा उसी ने हर प्रकार की सामाजिक व धार्मिक रिश्ते निभाकर अपनी मोक्ष प्राप्ती हेतू मुझ मदनमोहन को गोद लिया था तथा रजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर खातेदारी इन्द्राज भी मेरे नाम हो चुके है रामपति व उसके पुत्र पुत्रीयान ने मुझ मदनमोहन के दत्तक ग्रहण को निरस्त कराने व निस्प्रभावी घोषित कराने का दावा दीवानी न्यायालय में पेश किया जो दिनांक 11.10.2017 को खारिज हो चुका है। जिसका उनवान रामपति वगैरहा हो बनाम लिल्लो वगैरहा दावा घोषणा नंबरी 6/2016 है। जिसकी नकल भी जवाबदावे के साथ पेश की जा रही है। दीवानी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

न्यायालय के हकूक तय हो जाने के बाद गोदनामे की कानूनी मानने के बाद अब किसी भी प्रकार से मौजूदा दावा चलने योग्य नही है तथा काबिले खोरिज होने योग्य है तथा न्यायालय के फैसले से भी मै मदनमोहन लिल्लो के दत्तक पुत्र की हैसियत से 1/3 हिस्से का हिस्सेदार हूं ऐसी सूरत में वादीगण का दावा खारिज होने योग्य है। अंत में दावा वादी खारिज किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज जमाबंदी का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन किया जाना उचित प्रतीत होता है जो निम्न प्रकार हैः–

विवाद्यक संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने इस संबंध में नकल जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श 1 प्रस्तुत की है। जिसमें वादीग्रस्त भूमि वादीगण के 1/3 हिस्से एवं प्रतिवादी नंबर 1 के 1/3 हिस्से एवं लिल्लो पुत्र सुका 1/3 हिस्सा दर्ज है। प्रतिवादी नंबर 3 लिल्लो का गोदपुत्र है। जिसके हक में लिल्लो द्वारा दिनांक 27.04.2007 को रजिस्टर्ड गोदनामा किया गया है। इस गोदपत्र को वादिया द्वारा सिविल न्यायालय, करौली में दावा के द्वारा चुनौती दी गई थी। उक्त दावा दिनांक 11.10.17 को न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, करौली द्वारा खारिज किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी नंबर 3 लिल्लो का दत्तक पुत्र होना साबित है। वादीगण भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार नहीं है। वादीगण कोई घोषणा 1/2 हिस्से की एवं बंटवारा 1/2 हिस्से का कराने के हकदार नहीं है एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व सह खातेदारी भूमि होने से किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार नहीं है। वादीगण भूमि में अपना 1/2 हिस्सा साबित करने में असफल रहे है। अतः विवाद्यक संख्या 1 व 2 वादीगण के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाद्यक संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी साक्ष्य से यह साबित नहीं किया है कि दावा न्यायालय हाजा के सुनवाई योग्य किस प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

नहीं है। जबकि बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद धारा 53, 188 आर टी एक्ट का सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को ही है। अतः विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 4 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 व 2 के विवेचन से वादीगण वादग्रस्त भूमि में अपना 1/2 हिस्सा हक खातेदारी अधिकार साबित करने में असफल रहे है। दावा वादीगण चलने योग्य नहीं है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 3/12/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली